(85)

II/निग0/सतना/भू-रा0/2018/02457

न्यायालय श्रीमान् सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

श्री आर.डी. कुशवाहा
एड0 द्वारा पेश। 17.4.18

1— राजेन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा तनय श्री रामकरण विश्वकर्मा, निवासी ग्राम भिटारी, तह0 रामनगर, जिला सतना म0प्र0

2— श्रीमती आशा विश्वकर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा, निवासी ग्राम भिटारी, तह0 रामनगर, जिला सतना म0प्र0

——————निगरानीकर्तागण

बनाम्

दशरथ प्रसाद पटेल, तनय जगत देव पटेल, निवासी भिटारी, तह0 रामनगर, जिला सतना म0प्र0

—————— गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सतना संभाग रीवा म0प्र0 के प्रकरण कमांक 422/अपील/17—18 पारित आदेश दिनांक 07.04.2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :—

यह कि भूमि खसरा कमांक 111/1/11 रकवा 0.82½ ए. स्थित ग्राम भिटारी, तह0 रामनगर, जिला सतना म0प्र0 में स्थित है उक्त भूमि म0प्र0 शासन की आबादी आवास योजना

(85)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग. / 18 / 2457 जिला– सतना

राजेन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा विरूद्ध दशरथ प्रसाद पटेल

(1)	(2)	(3)
18-12-19	1. आवेदक की ओर से श्री आर. डी. कुशवाहा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 422/अपील/17-18 में पारित आदेश दिनांक 7-4-18 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17-4-18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	